न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 45/2017 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2017/00146)

उनवानी प्रकरण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय धौलपुर--------प्रार्थी।

बनाम

1. मैसर्स प्रधान डेयरी प्लाट नम्बर 392 –93 सदर थाना रीको एक्सटेन्शन सदर थाने के पास धौलपुर
2. हरिविलास शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहमण संचालक प्रधान डेयरी प्लाट नम्बर 392–93 सदर थाना रीको एक्सटेन्शन सदर थाने के पास धौलपुर
3. महेश शर्मा पुत्र महेन्द्र सिंह ग्राम चन्सौरा तहसील खेरागढ जिला आगरा हाल निवासी प्रधान डेयरी प्लीाट नम्बअर 393–93 सदर थाना रीको एक्सटेन्शन सदर थाने के पास धौलपुर --अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से :–श्री अनुभव पारासर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थीगण की ओर से :– श्री गौरव शर्मा अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 5.6.2018

निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 30.06.2017 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेशो की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं बहमराह सुबोध कुमार प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग कर गैस के दुरूपयोग किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर मैसर्स प्रधान डेयरी प्लाट नम्बर 392–93 सदर थाना रीको एक्सटेन्शन सदर थाने के पास धौलपुर के यहॉ पहुॅचे। मौके पर उपस्थित हरिविलास शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहमण संचालक प्रधान डेयरी एवं महेश शर्मा पुत्र महेन्द्र सिंह कार्यकर्ता प्रयोगशाला प्रधान डेयरी उपस्थित मिले। जिनकी उपस्थिति में प्रधान डेयरी की प्रयोगशाला एवं परिसर में घरेलू गैस की जॉच की गयी। प्रधान डेयरी की प्रयोगशाला में एक घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी.एल. का एस. आर. नम्बर 37165 आर.एम.सेट से प्लाष्टिक की पाईप से कनेक्टेड मिला। घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी.एल. प्रयोगशाला में और रखे पाये। मौके पर प्रधान डेयरी की प्रयोगशाला के कार्यकर्ता महेश शर्मा से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कार्य में काम में लेने बावत पूछताछ की गई। पूछताछ पर कार्यकर्ता द्वारा सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया गया। घरेलू गैस कनेक्शन से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज एवं रिकोर्ड मॉगने पर भी प्रस्तुत नही किया गया, इस प्रकार फर्म संचालक एवं प्रयोगशाला कार्यकर्ता द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य (रिफाइण्ड की जॉच) में उपयोग किये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एच. पी. सी. एल. का तौल शिवेन गैस सर्विस धौलपुर एच.पी.सी.एल. के डिलेवरी मैन अंकुश पत्र राकेश यादव निवासी दमापुर गडरपुरा चौराहा धौलपुर को बुलवाकर करवाया गया तथा 3 गैस सिलेण्डरों को मय गैस एक रेग्यूलेटर एवं रबर पाईप के महेश शर्मा कार्यकर्ता प्रयोगशाला प्रधान डेयरी के कब्जे से जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टिट से जब्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर मय गैस एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप के शिवेन गैस सर्विस धौलपुर एच. पी. सी. एल. के कार्यकर्ता दशरथसिहं पुत्र रविन्द्र सिहं को बुलवाकर सुपुर्दगी में दिया गया। अतः 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी. जी. 25.900 किलोग्राम एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप को राजसात किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री गौरव शर्मा अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत जबाव के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी मध्यमवर्गीय परिवार का सदस्य है तथा दूध का व्यवसाय करता है तथा अपना पेट पालन करता है। अप्रार्थी अपने परिवार के साथ ही प्रधान डेयरी के पास ही रहता है तथा अप्रार्थी के पुत्र भी एक ही घर में रहते है। प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर ने बेवजह नाजायज ढंग से अप्रार्थी के घर में रखे तीन घरेलू सिलेण्डर को जब्त कर लिया तथा उसके साथ में एक रेग्यूलेटर तथा रबर पाईप भी था। अप्रार्थी ने प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष घरेलू सिलेण्डर के बावत दस्तावेज भी पेश किए लेकिन प्रवर्तन अधिकारी ने मनमाने ढंग से कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी के घरेलू सिलेण्डरों को जब्त कर लिया। अप्रार्थी स्वंय हरिविलास शर्मा के नाम से एल पी जी गैस का कनेक्शन है जो अप्रार्थी ने शिवेन गैस सर्विस धौलपुर से ले रखा है जिसका उपभोक्ता कमांकः 25800 है। तथा उस कनेक्शन पर कम्पनी की ओर से दो घरेलू सिलेण्डर जारी किये हुए है। अप्रार्थी के पुत्र आन्नद शर्मा के नाम से एल पी जी गैस का कनेक्शन है जो कि शिवेन गैस सर्विस से जारी किया है। जिसका उपभोक्ता कमांकः 25802 है। उस कनेक्शन पर कम्पनी की ओर दो घरेलू सिलेण्डर जारी है। अप्रार्थी के पास कुल 4 घरेलू सिलेण्डर है। जो नियमानुसार कम्पनी की ओर से दिए गए है। प्रवर्तन अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी के गैस सिलेण्डरों को जब्त किया है जो गलत है। प्रकरण निराधार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण में जब्त 3 घेरलू

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

गैस सिलेण्डर व एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप को वापिस दिलाये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में फर्द मौका प्रमाणित प्रति दिनांक 30.6.2017, फर्द अधिग्रहण की प्रमाणित प्रति दिनांक 30.06.2017 एवं फर्द सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति दिनांक 30.06.2017 पेश की ।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने जबाव के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये ।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा अप्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये किन्तु अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा दिनांक 22.05.2018 को अपनी साक्ष्य बन्द कराली।

दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण के यहाँ पहुँचे। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 2 संचालक प्रधान डेयरी एवं अप्रार्थी संख्या 3 कार्यकर्ता प्रयोगशाला प्रधान डेयरी उपस्थित मिले। जिनकी उपस्थिति में प्रधान डेयरी की प्रयोगशाला एंव परिसर में घरेलू गैस की जॉच की गयी। प्रधान डेयरी की प्रयोगशाला में एक घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी.एल. का एस.आर. नम्बर 37165 आर.एम.सेट से प्लाष्टिक की पाईप से कनेक्टेड मिला। घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी.एल. प्रयोगशाला में और रखे पाये। मौके पर प्रधान डेयरी की प्रयोगशाला के कार्यकर्ता से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में काम में लेने बावत पूछताछ की गई। पूछताछ पर कार्यकर्ता द्वारा सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया गया। घरेलू गैस कनेक्शन से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज एवं रिकोर्ड मॉगने पर भी प्रस्तुत नही किया गया, इस प्रकार फर्म संचालक एवं प्रयोगशाला कार्यकर्ता द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य (रिफाइण्ड की जॉच) में उपयोग किये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा 2 घरेलू सिलेण्डर अपने नाम व दो गैस सिलेण्डर अपने पुत्र आनन्द शर्मा के नाम होना बताये है किन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य नही कराये गये है। इससे यह सिद्ध होता है कि गैस सिलेण्डरो को अपने व अपने पुत्र के नाम बताना एक मनगढन्त कहानी है जिस पर विश्वास नही किया जा सकता। अतः 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 25.900 किलोग्राम एक रेग्यूलेटर व रबर पाईप को राजसात किया जावें।

अप्रार्थीगण ने विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 मध्यमवर्गीय परिवार का सदस्य है तथा दूध का व्यवसाय करता है तथा अपना पेट पालन करता है। अप्रार्थी अपने परिवार के साथ रहता है। प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर ने बेवजह नाजायज ढंग से अप्रार्थी के घर

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एन. एम. पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज०)